लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 276
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पद्म पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया

†276. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पद्म पुरस्कारों के लिए गुमनाम नायकों के चयन हेतु कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कारों के लिए किन्हीं गुमनाम नायकों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): नस्ल, व्यवसाय, रुतबे अथवा लैंगिक आधार पर भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र है । तथापि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों सहित सेवारत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। स्वयं द्वारा भेजे जाने वाले नामांकनों सहित सभी नामांकनों / सिफारिशों को पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है । पद्म पुरस्कार समिति सभी नामांकनों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशों को अनुमोदन के लिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है। यद्यपि पद्म पुरस्कार समिति द्वारा चयन के लिए किसी सख्त मानदंड अथवा फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया जाता है । फिर भी समिति कोई भी चयन करते समय किसी व्यक्ति की जीवन भर की उपलब्धियों और साथ ही इन उपलब्धियों में शामिल जनसेवा घटक पर विचार करती है। विगत तीन वर्षों में चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं (और उनके प्रोफाइल) की सूची पद्म पुरस्कार पोर्टल https://www.padmaawards.gov.in/ पर उपलब्ध है। इस सूची में उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं जो जमीनी स्तर पर चुपचाप समाज की सेवा करते हैं और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करते, न ही किसी पुरस्कार, इनाम या मान्यता की लालसा रखते है।

*****